

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
उनवानी मूर्ति मन्दिर श्री गैबीराम जी बनाम भूमिधारी मु.सं. 351/2024

CEMV-2024/720

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

10/03
2025

पत्रावली पेश हुई। अभियन्ताक कर्म ने
आज अदालती कार्य का खण्ड कर
रखा है। पत्रावली फाँ आदेशानुसार
दिनांक 04/04/25 को पेश हो।

[Signature]

04-04-2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकिल प्रार्थी ने दस्तावेजों की सूची कुल दस्तावेज 01 पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2024 को करवा लिया है। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान दिनांकित 23.06.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 23.06.2024 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता है कि :-

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 961 ता 972 कुल किता 12 कुल रकबा 8.98 है० में प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 23.06.2024 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



[Signature]
(राजवीर सिंह यादव)
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)